## उत्तराखण्ड शासन आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

संख्या-वेहरावनः /XVIII-B-1/2020-15(5)/2020

्नः दिनांक १ ८ अप्रैल, 2020 अधिसूचना

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्वव्यापी कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को एक महामारी घोषित किये जाने तथा इस वायरस के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2020 से आपदा घोषित किये जाने पर वर्तमान में सम्पूर्ण देश व राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया है। इस कारण राज्य के किसानों को अपनी कृषि उपज को बेचने व मण्डारण हेतु नजदीक/ उचित स्थान मिलने में कठिनाई महसूस की जा रही है।

उपर्युक्त के संदर्भ में कोविड—19 के संक्रमण के कारण राज्य के कृषक, कृषक समूह, सहकारी समिति, उद्योग आदि एवं जनता पर लॉकडाउन में पड़ने वाले प्रभाव को कम करने हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 72 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 11(ख) एवं धारा 83 को अतिक्रमित करते हुए कृषि उपज के लिए प्रदेश के अन्तर्गत चिन्हित होंटस्पोंट को छोड़ते हुए शेष स्थानों के लिये निम्नवत् व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

 राज्य में लागू तालाबन्दी की अवधि में राज्य में घोषित मण्डी क्षेत्र के अंतर्गत कृषक, कृषक समूह, कृषि उत्पादन संस्थायें FPOs, सहकारी समिति आदि को सीघे कृषक से कय-विकय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

 राज्य में लागू तालाबन्दी की अवधि में राज्य में घोषित मण्डी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कोल्ड स्टोरेंज, गोदाम, प्लान्ट, क्लस्टर को उपमण्डी स्थल घोषित किये जाने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

उ. कृषक, कृषक समूह, कृषि उत्पादन संस्थायें FPOs, सहकारी समिति, उद्योग आदि को कृषि उत्पाद की विकेन्द्रीकृत मार्केटिंग को प्रोत्साहन एवं ग्राम स्तर से अधिप्राप्ति की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे

(जुड़्मल कुमार सिंह) मुख्य सचिव

संख्या— 3 cl (1) / XVIII-B-1/2020-15(5)/2020 तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 2 निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4. सचिव, कृषि एवं कृषि शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- अम्मस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उत्तराखण्ड द्वारा प्रब्रन्ध निदेशक।
- निवेशक, मुद्रण, राजकीय मुद्राणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की 300 प्रतियां तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट कर्न

9. गार्ड फाइल।

(एस.ए. मुरूगेशम) सचिव(प्रमारी)